कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

पत्रांक :- 2259 /15-1, दिनांक, प्रयागराज, जनवरी, 25 2023।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(प्रस्ताव संख्या-एफ0पी0/यू0पी0/रोड/153349/2022)

विषय :- जनपद कौशाम्बी में राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा किमी0 संख्या-49.155 से किमी0 संख्या-74.700 तक (सिंगरौर उपरहार से बरनपुर कादीपुर इचौली) पर हाईब्रिड वार्षिक मोड पर कास कर रहे एन0एच0-731ए, जिला-कौशाम्बी में प्रस्तावित 4 लेन ग्रीन फिल्ड हाईवे के निर्माण में प्रभावित 15.461 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य एवं 51 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ - आपका 2320/11-सी, दिनांक 16-01-2023।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उठायी गयी आपत्ति का निराकरण करते हुये संशोधित प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कौशाम्बी ने अपने पत्रांक 1432/5-8, दिनांक 24-01-2023 द्वारा इस कार्यालय को निम्न प्रकार उपलब्ध कराया गया है :-

Sr. No.	पृच्छा (Query)	उत्तर (Reply)
1	परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश प्रस्ताव मे संलग्न कर दिया गया है।
2	पावर ऑफ एटार्नी/आथारिटी पत्र प्रस्ताव मे संलग्न नहीं है।	पावर ऑफ एटार्नी/आथारिटी पत्र प्रस्ताव मे संलग्न कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में संलग्न किया गया वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है। अतः प्रतिहस्ताक्षरित कराकर ऑनलाईन अपलोड करें।	प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर संलग्न कर दिया गया है तथा ऑनलाईन भी अपलोड कर दिया गया है।
4	मार्ग चौड़ीकरण का स्टैन्डर्ड कास सेक्शन (Linear Plan) जिसमे वर्तमान ROW तथा प्रस्तावित ROW की माप दर्शाया गया हो, संलग्न नहीं है।	मार्ग चौड़ीकरण का स्टैन्डर्ड कास सेक्शन (Linear Plan) जिसमे वर्तमान ROW तथा प्रस्तावित ROW की माप दर्शाया गया हो, संलग्न कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव में गजट नोटिफिकेशन संलग्न है, जिस पर प्रभागीय निदेशक की मोहर है, किन्तु हस्ताक्षर नही है।	हस्ताक्षरयुक्त गजट नोटिफिकेशन प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
6	रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, जो प्रभागीय निदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, जो प्रभागीय निदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
7	ऑनलाइन भाग-2 के कमांक-13 मे सी.ए. स्थल को PF दर्शाया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही स्थिति फीड करें।	ऑनलाइन भाग-2 के कमांक-13 मे सी.ए. स्थल को RF कर संशोधन कर दिया गया है।
8	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना/अभिलेख 03 प्रतियों में एतद्सह संलग्नकर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- यथोपरि (03 प्रतियों में)।

भवदीय,

(अखिलेश पाण्डेय)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

D:\D\D-Man-2020-21\Land Transfer & petrol pump\Bhumi Hastantaran.docx

P.T.O.

संख्या :– 2259 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कौशाम्बी को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड–1, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अखिलेश पाण्डेय)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

D:\D\D-Man-2020-21\Land Transfer & petrol pump\Bhumi Hastantaran.docx